

10/12/2024

जाहीज  
13-12-2024

# 2024/595

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
काव्या बनाम सुशील आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 44/ वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
09.09.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 09.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	
9.10.2024	<p>कुलार् फरकन उपारथत/PU माह 44/2024 मे 09/10/24 है। पत्रावली आदिमाही 4-2-2024 को लखनऊ 3-10-24 गस्टे प्रवा 44/2024 दिनांक 10-12-2024 पर पेश हो पा। हु पेश हो <u>सुशील</u></p>	
10/12/24	<p>कुलार् फरकन उपारथत/PU माह 44/2024 मे 09/10/24 है। पत्रावली आदिमाही 4-2-2024 गस्टे प्रवा 44/2024 दिनांक 7-2-2024 हु पेश हो <u>सुशील</u></p>	<p>ममता Princa <u>Princa</u></p>
13-12-2024	<p>वकील जाही ने सर्वना- फा पेश करते पर पेम्बी में लिपारण्य वकील जाही ने निवेदन डिया डि एड वाद-फा अगे नही चलना चाहते हैं। मौजूदा रिचर्कि में जाहीज करना चाहते हैं। अह वाद फा मौजूदा रिचर्कि में जाहीज डिया जाहा है। प्रगावमी नम्बर के कक की जाकर वाड तव गीक लकाही लका दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	
	<p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	